न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बइजलास–श्री अरूण कुमार पुरोहित,आई.ए.एस.

रसद अपील संख्या–110 / 2025
GCMS No.- 2025/125

अपीलान्ट	**बनाम**	**रेस्पोडेन्ट**
राजस्थान सरकार जरिये शिवराम चौधरी प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय नागौर		श्री दिलसुख पुत्र श्री मदनलाल मालिक मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर बोसेरी तहसील डेह जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट की ओर से श्री शिवराम प्रवर्तन निरीक्षक
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद तामिल अनुपस्थित रहा।

निर्णय दिनांक :–07.10.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना–पत्र गैर सायल के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 की धारा 6 ए के तहत पेश कर प्रकरण में जब्त सुदा 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को राजसात करने का निवेदन किया हैं।

प्रकरण गैर सायल के विरूद्ध दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिऐ नोटिस वास्ते जबाब देही तलब किया गया। गैर सायल बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रकरण में प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि दिनांक 28.05.2025 को श्री अंकित पचार जिला रसद अधिकारी, नागौर हमराह श्री रामवतार पूनियां द्वारा मैसर्स बालाजी किराणा स्टोर बोसेरी तहसील जायल पहुंचकर घरेलू गैस के अवैध भण्डारण / व्यापार / दुरूपयोग की आकस्मिक जांच की कार्यवाही की गई। मौके पर होटल मालिक श्री दिलसुख उपस्थित मिले। मौके पर किराणा स्टोर का निरीक्षण करने पर 10 भरे हुए व 11 खाली कुल 21 घरेलू गैस सिलेण्डरों का व्यवसायिक दुरूपयोग करना पाया गया। श्री दिलसुख से घरेलू गैस के भण्डारण, विक्रय एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र के बारे मे पूछताछ करने पर इनके पास घरेलू गैस के भण्डारण व व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार का आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र नहीं होना स्वीकार किया। श्री दिलसुख द्वारा किसी प्रकार के आवश्यक दस्तावेज व अनुज्ञापत्र प्रस्तुत नहीं करने पर भण्डारित किये गये 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को अवैध मानते हुए मौके पर जब्त सरकार किया गया। जब्त किये गये सिलेण्डरों का विवरण निम्नानुसार है:–

कलक्टर नागौर

क्र.सं.	नाम कम्पनी	एस. आर. नं.	गैस वनज
1	बीपीसीएल	214441	0
2	बीपीसीएल	00412	0
3	बीपीसीएल	945941	14.2 किग्रा
4	बीपीसीएल	346375	14.2 किग्रा
5	बीपीसीएल	086442	14.2 किग्रा
6	बीपीसीएल	555321	14.2 किग्रा
7	बीपीसीएल	405282	14.2 किग्रा
8	बीपीसीएल	979348	0
9	एचपीसीएल	727853	14.2 किग्रा
10	एचपीसीएल	280881	14.2 किग्रा
11	एचपीसीएल	339464	14.2 किग्रा
12	एचपीसीएल	0280381	0
13	एचपीसीएल	146686	0
14	एचपीसीएल	422329	0
15	आईओसीएल	69091	0
16	आईओसीएल	872649	0
17	आईओसीएल	000791	0
18	आईओसीएल	9952	0
19	आईओसीएल	013164	0
20	आईओसीएल	168083	14.2 किग्रा
21	आईओसीएल	9201	14.2 किग्रा

उपरोक्त 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस मौके पर जब्त सरकार कर मैसर्स डेह इण्डेन ग्रामीण वितरक डेह के प्रतिनिधि श्री नवरतन पुत्र श्री चेनाराम की सुपुर्दगी मे दिये गये है। इस प्रकार श्री दिलसुख का यह कृत्य लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(A), (b), (c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रकरण मे जब्तसुदा 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर मय गैस को धारा 6 ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत, समपहरण (Confiscation) के आदेश प्रदान करावें।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में गैर सायल को जरिऐ नोटिस तलब किये जाने के बावजूद उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ हैं। प्रस्तुत प्रकरण के साथ पेश की गई फर्द मौका एवं जब्ती के अवलोकन से इस जब्ती में गैर सायल के स्वयं के हस्ताक्षर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर नागौर

है। जिससे यह प्रकट हैं कि जब्ती कार्यवाही गैर सायल उपस्थिति में की गई हैं एवं उनके द्वारा घरेलू गैस के भण्डारण,विक्रय एवं व्यापार से सम्बन्धित किसी प्रकार के दस्तावेज व अनुज्ञापत्र न तो प्रकरण में कार्यवाही के समय पेश किये हैं एवं न ही न्यायालय में उपस्थित होकर पेश किये हैं,जिससे यह प्रतीत होता हैं कि गैर सायल द्वारा बिना अनुज्ञापत्र के घरेलू गैस सिलेण्डरों का भण्डारण,विक्रय एवं व्यापार किया जा रहा हैं,जो लिक्वीफाइड पैट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर, 2000 के क्लॉज 3 (C), 7(1)(A), (b), (c) का स्पष्ट उल्लघंन हैं,जो आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः प्रकरण में जब्त सुदा 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों मय गैस को समपहरण (Confiscation) किया जाकर राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। जिला रसद अधिकारी,नागौर को आदेश दिये जाते हैं कि इन जब्त सुदा 21 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों मय गैस का कीमतन निस्तारण किया जाकर इनसे प्राप्त राशि को राजकोष में जमा करवाया जावें। यह राशि राजकीय घोषित की जाती हैं। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी,नागौर को पालनार्थ भेजी जावें।

निर्णय आज दिनांक 07.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(अरुण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर,
नागौर
कलक्टर नागौर